1 खींयाराम पुत्र मेनाराम 2 शान्ति पत्नी भागीरथ 3 रेवन्तराम पुत्र भागीरथ 4 भंवरलाल पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर

—वादीगण

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र पेमाराम जाति मेघवंशी साकिन पांचू 2 कमला पुत्री जेसाराम पत्नी पूनीराम गोड़ जाति मेघवाल नि. पांचू हाल निवासी हिम्मटसर 3 खेमाराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवंशी साकिन पांचू 4 चावली पुत्री जेसाराम पत्नी मोतीराम पटीर जाति मेघवाल साकिन पांचू हाल निवासी नोखागांव 5 झीटी पत्नी जेसाराम जाति मेघवंशी साकिन पांचू 6 तुलछाराम पुत्र उदाराम जाति मेघवंशी साकिन पांचू 7 पेम्पा पुत्री जेसाराम पत्नी बाबाराम बेरवाल जाति मेघवाल सा. पांचू हाल नि.सूरपुरा 8 पेमाराम पुत्र मेनाराम जाति मेघवंशी साकिन पांचू 9 बुधाराम पुत्र चेलूराम जाति मेघवंशी साकिन पांचू 10 बीरबलराम पुत्र चेतनराम जाति मेघवंशी साकिन पांचू 11 भंवरलाल पुत्र उदाराम जाति मेघवंशी साकिन पांचू 12 मघाराम पुत्र चेतनराम जाति मेघवंशी साकिन पांचू 13 महीराम पुत्र चेतनराम जाति मेघवंशी साकिन पांचू 14 मांगी पुत्री जेसाराम पत्नी स्व. प्रभुराम पटीर जाति मेघवाल सा. पांचू हाल नि. नोखागांव 15 मोहनराम पुत्र उदाराम जाति मेघवंशी साकिन पांचू 16 रेवन्तराम पुत्र पेमाराम जाति मेघवंशी साकिन पांचू 17 लिछमणराम पुत्र चेतनराम जाति मेघवंशी साकिन पांचू 18 श्यामा पुत्री चेलूराम पत्नी रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी पांचू हाल निवासी घटटू 19 श्यामाराम पुत्र जेसाराम जाति मेघवंशी साकिन पांचू 20 सुरजादेवी पत्नी पत्नी पेमाराम जाति मेघवंशी साकिन पांचू 21 सुरजाराम पुत्र चेलूराम जाति मेघवंशी साकिन पांचू 22 सुशीला पुत्री जेसाराम पत्नी मांगीलाल बेरवाल जाति मेघवाल सा. पांचू 23 हजारीराम पुत्र चेतनराम जाति मेघवंशी साकिन पांचू 24 हीरा पत्नी पेमाराम जाति मेघवंशी साकिन पांचू 25 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार, नोखा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति :

1. श्री टीकमसिंह राठौड़, एडवोकेट वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादीगण सं. 1 ता 24 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही
3. रोकार राज स्टेट की तरफ से ।

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दावा वादीगण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण सं. 1 ता 4 एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 24 का संयुक्त खातेदारी भूमि वाके रोही पांचू उत्तरी तहसील नोखा स्थित है। वादीगण सं. 1 ता 4 एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 24 का संयुक्त खातेदारी भूमि के खाता सं0 नया 963 पुराना 917 के खेत खसरा नम्बर 1763 रकबा 11.5600 कुल किता 1 कुल रकबा 11.5600 हैक्टेयर वाके रोही पांचू उत्तरी तहसील नोखा में स्थित है। वादीगण की वादगत संयुक्त रिकॉर्डेड खातेदारी भूमि खाता सं0 नया 963 पुराना 917 के खेत खसरा नम्बर 1763 रकबा 11.5600 कुल किता 1 कुल रकबा 11.5600 हैक्टेयर वाके रोही पांचू उत्तरी तहसील नोखा में स्थित में वादी सं. 1 का 1/12 हिस्सा यानि (0.9633 हैक्टेयर) वादी सं. 2 का 1/8 हिस्सा व 1/36 हिस्सा यानि (1.7661 हैक्टेयर) वादी सं. 3 का 1/36 हिस्सा यानि 0.3211 हैक्टेयर वादी सं. 4 का 1/36 हिस्सा यानि 0.3211 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/288 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/168 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 का

लगातार 2

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर हिस्सा भूमि संलग्न नजरी नक्शा में बरंग हरा एवं वादीगण 2 का 4 संयुक्त रूप से वादगत के उत्तरी–पश्चिमी पासा की अपनी अपनी संयुक्त कुल निहित हिस्सा भूमि यानि 2.4083 हैक्टेयर हिस्सा भूमि संलग्न नजरी में बरंग लाल भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा शेष वादगत भूमि पर प्रतिवादीगण 1/24 अपने अपने निहित हिस्सा अनुसार मुताबिक बाहमी विभाजन के अनुरूप ही आज दिन तक काबिज काश्त है तथा वादीगण संलग्न नजरी नक्शा व मुताबिक बाहमी विभाजन कब्जा काश्त के अनुरूप ही वादीगण के हक व हिस्सा भूमि का खाता व लगान अलग किया जाकर अलग राजस्व रिकार्ड व नक्शा में अंकन किया जावे। (ख) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायहित मे हो वादीगण को दिलाया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को जरिये समन तलब किया गया। पेशी दिनांक 14.8.2019 प्रतिवादी संख्या 1,3, 5 ता 13,15 ता 17, 19 ता 21 एवं 23 व 24 जरिए समन तामील एवं शेष प्रतिवादीगण सं. 2,4,14,18,22 जरिये रजिस्टर्ड समन तामील उपरांत भी अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी सं. 1 ता 24 इनके विरुद्व इकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। पत्रावली वास्ते बहस हेतु निर्धारित की गई। आज पेशी दिनांक 11.9.2019 को वकील वादीगण ने अपनी बहस के दौरान अपने वाद पत्र के कथनो को दौहराते हुवे निवेदन किया कि वाके रोही पांचू उत्तरी के नया खाता ंख्या 963 पुराना 917 के खेत खसरा नम्बर 1763 रकबा 11.56 कुल किता 1 कुल रकबा 11.56 हैक्टेयर भूमि का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बादन्डस अपने–अपने हिस्से का विभाजन किया जाकर दावा स्वीकार करने का निवेदन किया। स्टेट की ओर से पैरोकार राज ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं हो रहा है।

निर्णय

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/अध्ययन किया, वकील वादीगण की इकतरफा बहस के तर्को पर मनन किया जिससे वादीगण का यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य पाया जाने पर वादीगण का यह राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि **वाके रोही पांचू उत्तरी** के खेत खसरा नम्बर 1763 रकबा 11.56 हैक्टेयर भूमि का खाता विभाजन के प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस एवं उनके कब्जा काश्त की स्थिति के अनुसार करवाने एवं लगान पृथ्क–पृथ्क करने निर्धारण करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, नोखा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम 1955) के नियम 19 से 21 के तहत जोत के करार हेतु नियमानुसार सिद्धांतों का पालन करते हुए अभिलेख पर नक्शा बनाकर व उप विभाजित खेतों का अंकन पक्षकारों के खर्चे पर चिन्हित करना सुनिश्चित करते हुए वादी के कब्जे काश्त के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें। प्राथमिक डिकी जारी हों।

निर्णय आज दिनांक **11.09.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

11/9/19
उपखण्ड अधिकारी
(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी,

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2019.12.03 16:50:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: